न्यायालय,उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्र.सं. 24/2023 जीसीएमएस : 2023/53

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

—:वादी

बनाम

1. अनिल कुमार भाम्भू पुत्र बनवारीलाल भाम्भू जाति जाट साकिन वार्ड नं. 3 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

—:प्रतिवादी

उपस्थितः— 1. स्टेट की ओर से राजपैरोकार वादी।
2. श्री नरेन्द्र भादू वकील प्रतिवादी ।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177—209—92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 22.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा **177—209—92ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी के नाम से चक 23 पी एस—सी के तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.नं. 209/293 के कि.नं. 3/1 में 0.1120 है. बारानी, कि.नं. 4/6 में 0.1570 है. बारानी, कि.नं. 7/4 में 0.0080 है. नहरी, कि.नं. 8/7 तें 0.0930 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि है इस प्रकार कुल 0.3700 है. नहरी/ बारानी कृषि भूमि है जो आगे वादग्रस्त भूमि कहलाएगी। वादग्रस्त भूमि का वादी भूस्वामी है तथा राजस्थान टिनेनशी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है जिसके तहत प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि पर वादग्रस्त भूमि पर कृषि व कृषि भूमि से संबंधित कार्य करने विस्तृत अधिकार मिले है यह कि प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य ना करते हुए अकृषि कार्य किया जा रहा है और इसे व्यवसायिक/ आवासीय रूप से प्रयोग किया जा रहा है व मौका पर मकान /दुकान/ उद्योग बना/चला रखे है। प्रतिवादी का यह कृत्य विधि विरूद्व है। वादी के द्वारा जन कल्याणकारी उदेश्य के तहत भरपूर खाद्यान उत्पन्न हेतु ज्यादा कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार दिए जा रहे है ताकि आमजन को भरपूर खाद्यान मिल सके तथा ज्यादा कृषि भूमि उपज हो सके। इसी उदेश्य के तहत प्रतिवादी को भी वादग्रस्त भूमि पर कृषि व उससे सम्बन्धित कार्य करने हेतु खातेदारी अधिकार दिए थे और इसी अधिकार को प्रदान करते प्रतिवादी व वादी के मध्य विधि के तहत कृषि कार्य करने हेतु शर्ते भी तय हुई थी जिसकी पालना प्रतिवादी द्वारा नहीं की गयी। प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अन्य कार्य किये जा रहे है जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है। प्रतिवादी द्वारा [illegible] भूमि पर कृषि से

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:14 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

संबंधित कार्य के अलावा अन्य आवासीय एवं वाणिज्यक कार्य के रूप में प्रयोग करना था तो वह भूमि का कृषि से अकृषि अथवा भूमि आवासीय अथवा वाणिज्यक रूपान्तरण करवाकर में प्रयोग ले सकता है परन्तु प्रतिवादी द्वारा राजस्व को हानि पहुंचाने के उदेश्य एवं स्वयं को लाभ पहुंचाने के उदेश्य एवं स्वयं को लाभ पहुचाने के उदेश्य से उपरोक्त वादग्रस्त रकबा को किस्म परिवर्तन करवाए बिना गैर कानूनी रूप से प्रयोग किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी के उक्त कृत्य का वादी को पटवारी हल्का के रिपोर्ट मिलने पर पता चला इससे पूर्व वादी को इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि से संबंधित मिले अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है जिसका दिनांक 24.01.2023 को मालूम होने पर उन्हे कब्जा छोड़ने को कहा तो ऐसा करने से मना कर दिया बस यही तारीख बिनाय मुखासमत है। बिनाय दावा प्रतिवादी को काश्तकारी अधिकार मिलने के रोज से प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त सम्पदा को आगे रहन विक्रय की धमकी दी जा रही है अगर वो इसमें कामयाब हो जाते है तो पक्षकारों के मध्य विवाद बढ जाएगा तथा मुकदमाबाजी बढ जायेगी इसमें वादी, प्रतिवादी के विरूद्व व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार है। वाद श्रीमान् जी क्षेत्राधिकार का है जो अंदर मियाद पेश है। वाद राजस्थान राज्य की ओर से पेश किया जा रहा है जिस पर न्याय शुल्क देय नहीं होता है। लिहाजा वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी पेश कर निवेदन है कि वाद–वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। कि चक 23 पीएस सी के तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.नं. 209/293 के कि.नं. 3/1 में 0.1120 है. बारानी, कि.नं. 4/6 में 0. 1570 है. बारानी, कि.नं. 7/4 में 0.0080 है. नहरी, कि.नं. 8/7 तें 0.0930है. नहरी/बारानी कृषि भूमि है इस प्रकार कुल है. 0.0930 है नहरी/बारानी कृषि भूमि है इस प्रकार कुल है. 0.3700 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि है। कृषि भूमि की खातेदारी निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने व प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को सौपने का आदेश प्रदान करें

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। प्रतिवादी की तरफ से नरेन्द्र भादू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया उक्त प्रकरण मे कमिश्नर नियुक्त किया जावे । प्रतिवादी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुनः तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम मौका रिकार्ड अनुसार जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/1688 दिनांक 09. 10.2024 को अपनी मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि उक्त प्रकरण मे मुताबिक रिपोर्ट चक 23 पीएस सी के मु.नं. मु.नं. 26 पं.नं. 209/293 के कि.नं. 3/1 में 0.1120 है. बारानी, कि.नं. 4/6 में 0.1570 है. बारानी, कि.नं. 7/4 में 0.0080 है. नहरी, कि.नं. 8/7 में 0.0930है. नहरी/बारानी कृषि भूमि है इस प्रकार कुल है. 0.370 है. नहरी/बारानी कृषि भूमि है अनिल कुमार भाम्भू पुत्र बनवारी लाल भाम्भू के [illegible] दर्ज रिकार्ड है। तत्कालिक उपखण्ड अधिकारी महोदय, द्वारा उक्त रकबा पर [illegible] की शिकायत प्राप्त होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 18:02:14 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

पर मौका निरीक्षण किया गया था उस वक्त उक्त रकबा में ईट व पत्थर पडे थे तथा मिट्टी की भराई की हुई थी, निर्माण कार्य नही था। तात्कालिक श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ही उक्त रकबे पर अकृषि कार्य होने की वजह से धारा 177 की रिपोर्ट की गई थी। वर्तमान में उक्त रकबा पर ईट व पत्थर व मिट्टी हटा दी गई है तथा ट्यूबैल का निर्माण कर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा सब्जीयों की खेती की गई है। किसी तरह का अवैध निर्माण वर्तमान में नही चल रहा है। रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

4. वादी की तरफ से राजपेरोकार ने अपने दावा में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वाद पत्र पेश होने के समय भी रकबा खाली था और नजदीक अन्य व्यक्ति द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा था उस समय मेरे रकबे पर ईट, पत्थर व मिट्टी डाली गई थी जिस कारण मेरे रकबे पर सरकार की तरफ से अवैध निर्माण के तहत धारा 177 की करवाई की गई। उक्त भूमि पर तहसीलदार रायसिंहनगर ने पुनः मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मौके पर ट्यूबैल के जरिये कृषि कार्य किया जा रहा है तथा सब्जीयों की खेती की गई है। किसी तरह का अवैध निर्माण वर्तमान में नहीं चल रहा है अतः श्रीमान् उक्त वाद उक्त तथ्यों के अनुसार खारिज किया जावे।

5. अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। पूर्व में वाद पत्र मे पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट में अंकित है कि मौके पर कोई निमार्ण कार्य नहीं किया गया है रकबा खाली है तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/1618 दिनांक 09.10.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर ट्यूबेल के जरिये कृषि कार्य किया जा रहा है और मौके पर सब्जीयों की खेती की गई है उक्त तथ्यों के अनुसार अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है अतः वाद वादी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने के उपरान्त पाया जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी विवादित कृषि भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। इसी आश्य की पर्चा डिग्री जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक .22.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी एस.
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:02:14 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner